



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062023-246578
CG-DL-E-15062023-246578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]
No. 353]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2023/ज्येष्ठ 25, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2023/JYAISHTHA 25, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2023

सं. 43/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 440(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010, में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम करता है, यथा: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकता है।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में, फॉर्म एचए के अंतर्गत, तालिका घ में, शीर्षक क के अंतर्गत, शब्दों, अक्षरों, संख्याओं और कोष्ठकों, -

"क्या निर्यात खेप में सीटीएच 7117 या सीटीएच 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषण शामिल हैं (हां/नहीं)",

के स्थान पर

"यदि निर्यात खेप में सीटीएच 7117 या सीटीएच 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषण शामिल हैं, तो कृपया बताएं कि क्या उक्त आभूषणों के लिए पुनः आयात की सुविधा का लाभ उठाया जाएगा (हां/नहीं)", को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 455/03/2020-सीमाशुल्क V]

हरीश कुमार, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 36/2010-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 मई, 2010 को सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 5 मई, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 244(अ), दिनांक 31 मार्च 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2023

No. 43/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to further amend the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) (Second Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, in Form HA, in the table, under heading D, under column (A), for the words, letters, numbers and brackets

"Whether export consignment contains jewellery falling under CTH 7117 or CTH 7113 (Yes/ No)",

the words, letters, numbers, and brackets

"If export consignment contains jewellery falling under CTH 7117 or CTH 7113, please state whether the facility of re-import will be availed for the said jewellery (Yes/No)", shall be substituted.

[F. No. 455/03/2020-Cus.V]

HARISH KUMAR, Under Secy.

Note : The principal notification No. 36/2010-Customs (N.T.), dated the 5th May, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 385(E), dated the 5th May, 2010 and was last amended, *vide* notification No. 23/2023-Customs (N.T.), dated the 31st March 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 244(E), dated the 31st March 2023.